आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
2.8.17	न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 100/2015–16 1. मधुकांत मिश्रा, प्रभुकांत मिश्रा, कृष्णकांत मिश्रा व विमलकांत मिश्रा, सभी पिता–स्व0 कमलाकांत मिश्रा, ग्राम–रामनगर, थाना–बरदाहा, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया। 2. विनोद कुमार मिश्रा, रंजेश कुमार मिश्रा, पिता–स्व0 रूद्रकांत मिश्रा, ग्राम–रामनगर, थाना–बरदाहा, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया। 3. राकेश कुमार मिश्रा, विकेश कुमार मिश्रा, पिता–स्व0 प्रीतमकांत मिश्रा, ग्राम–रामनगर, थाना–बरदाहा, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया बनाम 1. मसो0 संक्षिया देवी, पति–स्व0 बद्रीलाल दास, ग्राम–पोठिया, पो0–जमुआ, थाना–बरदाहा, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया। 2. राज कुमार निराला, पिता–स्व0 बंदीलाल दास 3. रधिया देवी, पति–धर्मनाथ ततमा, पिता–बंदी लाल दास 4. तिलिया देवी, पति–कृत्यानंद ततमा, पिता–बंदी लाल दास 5. शीला देवी, पति–रामलाल ततमा, पिता–बंदी लाल दास 6. उर्मिला देवी, पति–कृष्णदेव ततमा, पिता–बंदी लाल दास 7. शुशिला देवी, पति–राजानंद ततमा, पिता–बंदी लाल दास 8. सुरजकला देवी, पति–डमरू ततमा, पिता–बंदी लाल दास 9. गुजनी देवी, पति–जागो ततमा, पिता–बंदी लाल दास सभी सा0–पोठिया, पो0–जमुआ, थाना–बरदाहा, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया – विपक्षीगण **आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदक मधुकांत मिश्रा एवं अन्य, पिता–स्व0 कमलाकांत मिश्रा एवं अन्य, सभी ग्राम–रामनगर, थाना–बरदाहा, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया की ओर से अंचलाधिकारी, सिकटी के विविध वाद सं0 05/2015–16 में दिनांक 15.7.2015 को पारित आदेश के आलोक में बिहार नामान्तरण अधिनियम 2011 की धारा 9 के अन्तर्गत विपक्षीगणों के पिता स्व0 बंदेलाल दास, पिता–स्व0 जगलाल दास के नाम निम्न विवरण की भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 974 को रद्द करने हेतु आवेदकगणों ने इस न्यायालय में	

दिनांक 13.8.2015 को आवेदन दाखिल किया गया है। जिसे दिनांक 4.9.2015 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई।

वादग्रस्त जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
पोठिया अंचल–सिकटी	173	143	431 ई0	3.50 ए0	974

विपक्षीगणों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल सिकटी से प्राप्त होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया तथा उनकी ओर से लिखित बहस एवं कागजात दाखिल की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे कायमी खतियान उनके पूर्वज कमलाकांत मिश्र के नाम से रकवा कुल 4.22 एकड़ दर्ज है, जो उनके खास दखली में है तथा उसका मूल जमाबंदी सं0 143 कमलाकांत मिश्र के नाम से दर्ज है। जिसका लगान रसीद वर्ष 1967 तक उनके नाम से निर्गत है।

प्रश्नगत भूमि का कैलू ततमा के नाम गलत सिकमी खाता सं0 93 दर्ज है। उनके पूर्वजों द्वारा प्रश्नगत भूमि विपक्षीगणों के साथ बिक्री नहीं की गई है और न ही किसी भी दिवानी वाद में उनके पूर्वज या वारिशान पक्षकार हैं। विपक्षीगणों के नाम अवैध रूप से दर्ज की गई जमाबंदी सं0 974 के संबंध में जब इन्हें जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने अंचलाधिकारी, सिकटी के समक्ष आवेदन दाखिल किया। अंचलाधिकारी, सिकटी द्वारा विविध वाद सं0 5/2015–16 संधारित कर हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँचप्रतिवेदन प्राप्त कर अपने आदेश दिनांक 15.7.2015 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खतियानी रैयत एवं उनके वारिशानों द्वारा वाद भूमि की बिक्री नहीं की गई है, विपक्षीगणों द्वारा गलत ढ़ंग से जमाबंदी दर्ज कराई गई है। किन्तु उन्हें जमाबंदी सुधार करने की शक्ति प्राप्त नहीं रहने के कारण उन्होंने श्रीमान् के समक्ष वाद दायर करने का आदेश पारित किया है। तत्पश्चात प्रथम पक्ष के द्वारा इस वाद को इस न्यायालय के समक्ष लाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी के पूर्वज बंदेलाल दास के नाम बिना नामांतरण वाद के जमाबंदी सं0 974 अवैध रूप से दर्ज है, जिसे रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि यह सही हे कि आवेदकगणों के पूर्वज कमलाकांत मिश्रा के नाम प्रश्नगत भूमि का कायमी खतियान दर्ज है। किन्तु वादग्रस्त भूमि का सिकमी खतियान विपक्षीगणों के दादा के पूर्वज कैलू ततमां के नाम दर्ज, जिसे आवेदकगणों ने भी स्वीकार किया है। शूरू से ही सिकमीदार के पूर्वज वाद भूमि पर दखल–काबिज होकर जोत आवाद करते आ रहे है तथा उपज का आधा हिस्सा जमींदार को देते रहे हैं। कायमीदार कभी भी वाद भूमि पर दखल काबिज नहीं हुआ है।

विपक्षीगणों का यह भी कहना है कि वर्ष 1948 ई0 में उनके दादा जगलाल

ततमा से आवेदकगणों के पूर्वज एवं सिकमीदार मिलकर वाद भूमि के एवज में 1000/– (एक हजार) रू0 कर्ज लिया था तथा वह वाद भूमि का सुदभरना दलील जगलाल दास के नाम बना दिया। सूदरभरना दलील के बाद विपक्षीगण के दादा जगलाल दास वाद भूमि के पूर्व दखल–कब्जा में आने तथा कायमीदार को आधी बटाई देना बंद कर दिया। आवेदकगणों के पूर्वज सूदभरना वाला रूपया नहीं लौटाने पर विपक्षीगणों के पूर्वज वो पिता मुंसफ न्यायालय, अररिया में दिवानी वाद सं0 124/58 दर्ज किया जो उन्हें एक पक्षीय डिग्री दिनांक 8.7.1959 को प्राप्त हुआ।

इनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्तागण के पूर्वज एवं अन्य के द्वारा दिवानी वाद सं0 124/58 के विरूद्ध विविध वाद सं0 503/59 दाखिल किया गया जो दिनांक 18.12.59 को खारिज हो गया। विपक्षीगण के दादा जगलाल दास, पिता–बंदेलाल ततमा प्रारंभिक डिग्री के बाद दिवानी वाद सं0 876/59 दर्ज किया जिसमें विपक्षीगण के दादा को अंतिम डिग्री प्राप्त हुआ। तत्पश्चात विपक्षीगण के पूर्वज डिग्री जारी केश 207/60 दर्ज किया जो विपक्षीगण के हित में दिनांक 08.09.1961 ई0 में मुंसिफ कोर्ट अररिया से निलामी खरीद संपुष्ट हुआ तथा दिनांक 14.10.1961 ई0 को सर जमीन पर कोर्ट द्वारा दखल–कब्जा दिलाया गया तब से विपक्षीगण के पिता वो दादा वाद भूमि पर दखल काबिज होकर जोत आवाद करते चले आ रहे हैं एवं दाखिल खारिज कर लगान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। अपीलकर्त्तागण एवं अन्य के पूर्वज दिवानी वाद सं0 876/59 एवं डिग्री जारी केश सं0 207/60 को निरस्त करने हेतु दिवानी वाद सं0 295/91 दर्ज किया जो दिनांक 22.1.1992 को मुंसिफ कोर्ट अररिया द्वारा खारिज हो गया। पुनः अपीलकर्त्तागण के पूर्वज दिवानी वाद सं0 876/59 एवं डिग्री जारी केश सं0 207/60 के विरूद्ध दर्ज किया जो दिनांक 06.03.95 को मुंसिफ कोर्ट, अररिया द्वारा खारिज हो गया। अपीलकर्त्तागण के पूर्वज एवं अन्य मुंसिफ कोर्ट, अररिया के जजमेंट के खिलाफ दिवानी अपील वाद सं0 10/95 जिला जज, पूर्णियाँ के न्यायालय में दर्ज किया जो दिनांक 2.6.1997 को खारिज हो गया। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण एवं अन्य 50–55 वर्षों से लेकर अब तक विपक्षीगण के पूर्वज से वाद भूमि लेकर लड़ता रहा लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। साथ ही साथ सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा केश नं0 28/91 में खतियान खोलने का आदेश विपक्षीगण के पूर्वज के पक्ष में दिया।

इनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्तागण के पूर्वज कार्यपालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कई मुकदमा लड़े। मुकदमा संख्या 186एम/55, अन्दर दफा 144 द0प0स0 विपक्षीगण के पूर्वज के विरूद्ध दर्ज किया जो दिनांक 11.10.55 को विपक्षीगण के पूर्वज के हित में निरपेक्ष घोषित हुआ। पुनः अपीलकर्त्तागण एवं अन्य मुकदमा सं0 405 एम/63, अन्दर दफा 145, द0प0स0 विपक्षीगण के पूर्वज के विरूद्ध चली जिसमें विपक्षीगण के पूर्वज के हित में दिनांक 15.6.64 को दखल कब्जा घोषित हुआ। अंत में मुकदमा सं0 134एम/93, अन्दर दफा 145, द0प0स0 की कार्यवाही अपीलकर्त्तागण एवं

अन्य के विरूद्ध चली जिसमें विपक्षीगण के हित में दखल देहानी आदेश दिनांक 8.10.98 को घोषित हुआ। उक्त वाद सं0 134एम/93 में वाद भूमि का सारा इतिहास (सिविल एवं कार्यपालिका) वर्णित है।

इनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्तागण के पूर्वज कमलाकांत मिश्र के मूल जमाबंदी में कुल 4.22 एकड़ जमीन था। जिसमें से 3.50 एकड़ जमीन विपक्षीगण के पूर्वज के दादा वो पिता के नाम से मुंसिफ कोर्ट, अररिया से दिनांक 8.9.1961 ई0 में निलामी खरीद डिग्री (जजमेंट) हुआ और दिनांक 14.10.1961 ई0 को ढोल बजाकर सर जमीन का कोर्ट द्वारा दखल कब्जा दिला दिया। निलामी खरीद पश्चात दाखिल खारिज कर लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहें है तथा विपक्षीगण के पूर्वज (पिता) बंदेलाल ततमा के नाम जमाबंदी 974 कायम हुआ। शेष जमीन 72 डी0 जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज कमलाकांत मिश्र के जमाबंदी में बचा था।

इनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता कृष्णकांत मिश्र दलील नं0 6343, दिनांक 10.6.13 को मौजा–पोठिया, खाता सं0 143, खेसरा सं0 441, 438, 442 रकवा 13 डी0 जमीन क्रेता झरीलाल ततमा के हाथ बिक्री कर दिया और अपीलकर्त्ता कृष्णकांत मिश्र दलील सं0 52, दिनांक 29.12.12 को मौजा–पोठिया, खाता सं0 143, खेसरा सं0 446, 445 एवं 447, रकवा 42 डी0 जमीन शंकर ततमा के हाथ बिक्री कर दिया एवं अपीलकर्त्तागण मधुकांत मिश्र, मौजा–पोठिया, खाता सं0 143 से क्रेता अर्जुन ततमा के हाथ 9 डी0 जमीन बिक्री कर दिया। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण अपने पूर्वज के मूल जमाबंदी से 64 डी0 जमीन बिक्री कर दिया। लगभग उक्त खाते की जमीन से 4 डी0 जमीन में काली मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण के पूर्वज का मूल जमाबंदी में सिर्फ 4 डी0 बचा हुआ है।

यह कि अपीलकर्त्ता कमलाकांत मिश्र वो तिलकनाथ मिश्र क्रेता टुराई ततमा के हाथ दलील सं0 4798, दिनांक 6.5.2013 को उक्त खाता 143, खेसरा सं0 431, 439 से 67½ डी0 जमीन दलील सं0 5426, दिनांक 15.5.2013 को बिक्री कर दिया। जब दोनों क्रेताओं ने दाखिल–खारिज हेतु अंचल सिकटी में दाखिल किया तो अपीलकर्त्तागण के पूर्वज का मूल जमाबंदी में जमीन नहीं होने के कारण म्यूटेशन वाद अस्वीकृत हो गया। म्यूटेशन वाद इस आधार पर अस्वीकृत हो गया कि प्रस्तावित जमीन का अपीलकर्त्तागण के पूर्वज के जमाबंदी से मिलान किया और पाया कि दोनों केवाला में माँग रकवा 67½ डी0 एवं 67 डी0 कुल रकवा 1.34½ एकड़ जमीन है। जबकि विक्रेता के स्व0 दादा वो पिता के मूल जमाबंदी पर मात्र 4 डी0 जमीन बचा है। अतः नामान्तरण अस्वीकृत की है। क्रेता टुराई ततमा वो सुरेश ततमा उक्त वाद भूमि को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में मोकदमा सं0 326/2013–14 दर्ज किया जो सुनवाई पश्चात् दिनांक 12.02.2015 को खारिज हो गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेशों की बाध्यता इस

न्यायालय पर है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया ने बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत वाद को पोषनीय नहीं पाया और वाद खारिज किया गया है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम पक्षों के जमाबंदी रद्दीकरण के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में सलग्न साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिशीलन से स्पष्ट है कि वाद भूमि का खाता 143, खेसरा 431 आदि रकवा 4.22 एकड़ जमीन का सिकमी खतियान कैलू ततमा के नाम दर्ज थी। द्वितीय पक्ष के पूर्वज जगलाल ततमा से 1948 में कर्ज के रूप में 1000.00 रूपया लिया तथा सूदभरना दलील तामिल व रजिस्ट्री किया। सूदरभरना का रूपया नहीं लौटाने के एवज में जगलाल ततमा एवं उनके पुत्र बन्देलाल ततमा ने मुंसफ न्यायालय में वाद भूमि से संबंधित दिवानी वाद सं0 124/58 दायर किया, जिसमें एक तरफा डिग्री दिनांक 8.7.1959 को पारित हुई। इसके विरूद्ध प्रथम पक्ष एवं अन्य के पूर्वज ने विविध वाद सं0 503/59 डिग्री तोड़ने के लिये मुंसफ न्यायालय में दाखिल किया, जो दिनांक 18.12.1959 को खारिज हुआ। द्वितीय पक्ष के पूर्वज ने उसी वाद को प्रीलीमनरी डिग्री के बाद दिवानी वाद सं0 876/59 दाखिल किया, जिसमें फाईनल डिग्री द्वितीय पक्ष के पूर्वज के पक्ष में पारित हुआ। तत्पश्चात् द्वितीय पक्ष के पूर्वज ने डिग्री जारी केश नं0 207/1960 प्रथम पक्ष के पूर्वजों के विरूद्ध दायर किया तथा उस डिग्री के आधार पर दिनांक 8.9.1961 को निलाम खरीद सम्पुष्ट हुआ तथा मुंसफ न्यायालय से दखल देहानी दिनांक 14.10.1961 को सरजमीन पर दिला दिया गया। तभी से द्वितीय पक्ष के पूर्वज एवं द्वितीय पक्ष वाद भूमि पर दखल काबिज होते चले आ रहे हैं। पुनः सिकमी रैयत के सदस्यों ने दिवानी वाद सं0 876/59 एवं डिग्री जारी वाद सं0 207/1960 को निरस्त करने हेतु विपक्षी के पूर्वज बन्देलाल दास के विरूद्ध मुंसफ न्यायालय में दिवानी वाद सं0 295/1991 दायर किया, जो 22.1.1992 को मान्नीय मुंसफ, अररिया द्वारा खारिज कर दिया गया। पनुः दिवानी वाद सं0 416/1991 मुंसफ न्यायालय में द्वितीय पक्ष के पूर्वज के विरूद्ध दायर किया गया, जो दिनांक 6.3.1995 को खारिज हो गया। पुनः मुंसफ न्यायालय के आदेश दिनांक 6.3.1995 के विरूद्ध दिवानी अपील वाद सं0 10/1995 जिला न्यायाधीश, पूर्णियाँ के न्यायालय में दायर किया गया, जो दिनांक 2.6.1997 को जिला न्यायाधीश, पूर्णियाँ द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण एवं अन्य 50–55 वर्षों से विपक्षीगण के पूर्वज से वाद भूमि को लेकर लड़ता रहा, लेकिन कभी भी न्यायालय में सफल नहीं हुए। चकबंदी सर्वे के दौरान द्वितीय पक्ष के पिता बन्देलाल दास ने चकबन्दी एक्ट की धारा 10(3) के अन्तर्गत वाद सं0 28/1991 सहायक चकबंदी पदाधिकारी, सिकटी के न्यायालय में वाद भूमि को लेकर दायर किया, जिसमें सहायक चकबंदी पदाधिकारी, सिकटी ने उभय पक्षों के कागजातों एवं सरजमीन पर दखल–कब्जा को देखकर बन्देलाल दास के पक्ष में वाद

भूमि का खाता खोलने का आदेश दिनांक 12.3.1992 को दिया। वैधानिकता यह है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के नियमन के अनुसार व्यवहार न्यायालय के निर्णय की बाध्यता राजस्व न्यायालय पर है तथा उपरोक्त न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के लिये भी बाध्यकारी है। दिवानी वाद सं0 876/59 एवं डिग्री जारी वाद सं0 207/1960 को सक्षम न्यायालय में वाद सं0 295/1991 एवं 416/1991 एवं 10/1995 द्वारा चुनौती दी गई, जो क्रमशः दिनांक 22.01.1992, 06.03.1995 एवं 02.06.1997 को खारिज हो गया। साथ ही साथ वाद भूमि पर दफा 144 द0प्र0सं0 के तहत दाखिल मोकदमा सं0 186M/1955 के पारा 3 में आवेदकगणों के पूर्वजों द्वारा सूदभरना को कबूल किया गया है तथा विपक्षीगणों के दखल–कब्जा की सम्पुष्टि भी की गई है तथा मुकदमा सं0 405M/1963 अंदर दफा 145 द0प्र0सं0 की कार्रवाई के तहत भी विपक्षी के पक्ष में दखल कब्जा सम्पुष्ट हुआ है।

अपीलकर्त्तागण द्वारा वाद भूमि क्रेता झड़ीलाल ततमा, शंकर ततमा, अर्जुन ततमा एवं सुरेश ततमा वो टुराई ततमा के हाथ बिक्री कर दिया। जब क्रेता सुरेश ततमा वो टुराई ततमा क्रय केवाला वाली जमीन का दाखिल खारिज हेतु अंचल सिकटी में आवेदन दाखिल किया तो कमलाकांत मिश्र के मूल जमाबंदी में मात्र 4 डी0 जमीन शेष रहने के कारण दाखिल खारिज वाद अस्वीकृत हो गया।

चूँकि विपक्षीगण को वाद भूमि सिविल कोर्ट, अररिया से दिवानी वाद सं0 876/59 एवं डिग्री जारी केश नं0 207/60 से निलामी खरीद से प्राप्त है तथा दाखिल खारिज कराकर लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से लगान रसीद प्राप्त करते हुए दखल काविज होकर जोत आवाद करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगणों के पूर्वज को दिवानी वाद सं0 876/59 एवं डिग्री जारी केश सं0 207/1960 के द्वारा भूमि प्राप्त है एवं उसपर दखलकार है। दखल–कब्जा के आधार पर इतनी लम्बी अवधि से जमाबंदी दर्ज होकर चली आ रही है, जिसे निरस्त किया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। आवेदक का यह कहना कि जमाबंदी बिना किसी नामांतरण वाद सं0 के दर्ज है, गलत है क्योंकि जमाबंदी पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी जीर्ण–शीर्ण होने के कारण rewrite किया गया है, जिसपर राजस्व कर्मचारी के द्वारा Mutation Case No. दर्ज नहीं किया गया है, जो कर्मचारी की भूल है। परन्तु वर्ष 1994–95, वर्ष 1999–2000 से 2013–14 तक, वर्ष 2016–17 की लगान रसीद प्रमाणित करती है कि विपक्षी के पूर्वज बन्देलाल दास के नाम जमाबंदी सं0 974 पूर्व से कायम है। आवेदक के द्वारा मात्र 1967–68 की लगान रसीद दाखिल की गई है, जो जमाबंदी नं0 143 बनाम कमलाकान्त मिश्र के नाम निर्गत है। पूर्व में खारिज नामान्तरण वाद सं0 695/2013–14 एवं 750/2013–14 तथा नामान्तरण वाद सं0 2034/2014–15 एवं 2035/2014–15 द्वारा खारिज होने के बावजूद भी बाद में नामान्तरण वाद सं0 22/2015–16 एवं 23/2015–16 द्वारा राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी में जमीन नहीं रहने के बावजूद

अवैध तरीके से म्यूटेशन कर दिया गया है, जो विवाद का कारण बना, जिसे रद्द करने की आवश्यकता है।

अतः आवेदकगणों के जमाबंदी रद्दीकरण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है और विपक्षी के दर्ज जमाबंदी को सम्पुष्ट किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, सिकटी को आदेश दिया जाता है कि बाद में नामान्तरण वाद सं0 22/2015–16 एवं 23/2015–16 में नामान्तरण प्रस्ताव समर्पित करने वाले राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव एक पक्ष के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा नामान्तरण वाद सं0 22/2015–16 एवं 23/2015–16 को रद्द करने हेतु नियमानुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद दाखिल कराना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, सिकटी को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0 –
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0 –
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 111 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 02 / 08 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सिकटी को विविध वाद सं0 05/2015–16 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2.8.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया